187

147/11-12

समक्ष - श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय श्रीमान् जिलाध्यक्ष महोदय, छतरपुर जिला छतरपुर मध्य प्रदेश

निगरानी क्रमांक:- R-402-II/2012 सन्

मायादेवी पत्नी जगदीश रैकवार निवासी मनकारी
तहसील महाराजपुर जिला छतरपुर म.प्र. .. आवेदिका

बनाम

मथुरा प्रसाद तनय रामप्रसाद कुरमी
निवासी मनकारी तह. महाराजपुर
जिला छतरपुर म.प्र. .. अनावेदक

निगरानी विरुद्ध न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी नौगांव कैम्प महाराजपुर जिला छतरपुर के अपील क्रं. 134/अपील/10-11 में पारित आदेश 05.01.12

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्नलिखित निगरानी सादर प्रस्तुत करती है:-

1. यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक/आवेदक द्वारा न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय महाराजपुर के न्यायालय में एक आवेदन पत्र धारा 131 म.प्र.भू.रा.सं. के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि अनावेदक/आवेदक का मायादेवी की भूमि खसरा क्रमांक 689 की मेड़ से रूढिगत रास्ता आने जाने के लिए थी जिसे मायादेवी द्वारा गड्ढा खोद कर बंद कर दिया गया है, रास्ता दिलाई जावे । उक्त आवेदन पत्र न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध किया जाकर आवेदिका को तलब किया गया आवेदिका द्वारा अपना जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवेदिका की भूमि से कभी भी कोई रूढिगत रास्ता नहीं रहा है न ही वर्तमान समय में है । आवेदक मथुरा प्रसाद अन्य रास्ते से अपनी भूमि पर पहुँचता है [illegible] से सीधा आता जाता रहा है, आवेदन पत्र निरस्त करने का निवेदन किया. अधीनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर तथा आर.आई. पटवारी प्रतिवेदन लेकर तर्क श्रवण कर आवेदक मथुरा प्रसाद द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त करने का आदेश पारित किया था । उक्त आदेश से पीड़ित होकर मथुरा प्रसाद द्वारा अपील

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-402-दो/2012 जिला छतरपुर मायादेवी विरूद्ध मथुरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी नौगांव जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 134/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 05-01-2012 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 21-02-2012 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 18.1.19
सदस्य